कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा.)

–:– परिपत्र –:–

क्रमांक....651..../एक–6–2/2004 कबीरधाम, दिनांक 14.03.2023

इस स्थापना अंतर्गत कार्यरत् न्यायालयों में लंबित विभिन्न आपराधिक प्रकरणों/नए अभियोगपत्र प्रस्तुति के दौरान थाना द्वारा जप्तशुदा संपत्ति प्रापर्टी पर्चा के साथ न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। न्यायालय द्वारा संपत्ति प्राप्त कर सुरक्षार्थ संपत्ति पर्चा सहित मालखाना की ओर प्रेषित की जाती है।

माननीय रजिस्ट्री के ज्ञापन क्रमांक 1772/जिला स्था.–2019 बिलासपुर दिनांक 17.02.2022 के अनुसार संपत्ति पत्रक तीन प्रतियों में तैयार कर 01 प्रति पुलिस थाना, 01 प्रति मालखाना एवं 01 प्रति न्यायालय के अभिलेख में संधारित करने का निर्देश है। वर्तमान में ई–कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत थानों द्वारा प्रस्तुत संपत्तियों को मालखाना में जमा किए जाने के संबंध में संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जाना भी आवश्यक है, ताकि उक्त संपत्ति का नियमानुसार शीघ्र निराकरण किए जाने में सुविधा हो।

अतः न्यायालयों में थाना द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संपत्तियों के संपत्ति पर्चा में अनिवार्य रूप से बार कोड अंकित कर सुरक्षार्थ मालखाना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त संपत्तियों को ढूंढने व निराकरण करने में सुविधा हो। उक्त परिपत्र दिनांक 20.03.2023 से प्रभावशील होगा।

(नीता यादव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कबीरधाम(कवर्धा)

पृ.क्रमांक....651..../एक–6–2/2004 कबीरधाम, दिनांक 14.03.2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम
2. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के न्यायालय के अति. न्यायाधीश कबीरधाम
3. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी.(पॉक्सो), कबीरधाम
4. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.), कबीरधाम
5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम
6. प्रथम व्य.न्या.वर्ग–1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम
7. द्वितीय व्य.न्या.वर्ग–1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम

8. तृतीय व्य.न्या.वर्ग–1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम
9. चतुर्थ व्य.न्या.वर्ग–1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम
10. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पंडरिया
11. प्रभारी अधिकारी, मालखाना कवर्धा / पंडरिया
 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
12. पुलिस अधीक्षक, कबीरधाम की ओर समस्त थाना प्रभारियों को उक्त संबंध में निर्देशित किए जाने हेतु अग्रेषित।

(नीता यादव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कबीरधाम(कवर्धा)

O/C